

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर द्वारा सुकमा वनमण्डलन अंतर्गत परिक्षेत्र तोंगपाल, सुकमा, दोरनापाल एवं कोण्टा के संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 38P, 75P, 176P, 175P, 158P, 155P, 148P, 274P, 293, 289P, 292P, 667P, 676P, 699P, 694P, 709P, 711P, 168P एवं 171P रकबा 0.582 हे. आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 31, 115, 118, 162, 163, 275P, 276, 277, 283, 285 एवं 287 रकबा 0.853 हेक्टर एवं राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 566, 567, 569, 570, 576, 577, 578, 581, 83, 587, 40, 43, 129/1, 14, 54, 51, 55, 53, 59, 56, 255, 226, 227, 228, 229, 243, 253, 254, 71, 74, 84, 38, 547, 721, 826, 109/580, 522/575, 1106, 1119, 931, 935, 942, 949, 956, 973, 275, 528, 452, 1, 336, 1231, 303, 143, 148, 302/414, 304, 616, 1047, 100, 137, 1029, 978, 983, 986, 1201, 1228, 1249, 763, 765, 736, 353, 355, 356, 278, 363, 365, 366, 367, 256, 268, 269, 270, 272, 239, 1189, 1190, 1093, 1095, 1107, 1113, 584, 583, 838, 833, 2330, 2236, 2273, 2278, 2279, 2214, 1241, 1095, 1097, 758, 769, 771, 756, 393, 768, 728, 755, 757, 758, 730, 731, 734, 179/932 रकबा 0.949 हेक्टर कुल रकबा 2.383 हे० वनक्षेत्र में लगभग 179.142 कि.मी. लंबाई पर फायबर ऑप्टिकल केबल बिछाने हेतु वनभूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तन हेतु मांग प्रेषित है।
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर छत्तीसगढ़।
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर द्वारा सुकमा वनमण्डलन अंतर्गत परिक्षेत्र तोंगपाल, सुकमा, दोरनापाल, कोण्टा के संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 38P, 75P, 176P, 175P, 158P, 155P, 148P, 274P, 293, 289P, 292P, 667P, 676P, 699P, 694P, 709P, 711P, 168P एवं 171P रकबा 0.582 हे., आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 31, 115, 118, 162, 163, 275P, 276, 277, 283, 285 एवं 287 रकबा 0.853 हेक्टर एवं राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 566, 567, 569, 570, 576, 577, 578, 581, 83, 587, 40, 43, 129/1, 14, 54, 51, 55, 53, 59, 56, 255, 226, 227, 228, 229, 243, 253, 254, 71, 74, 84, 38, 547, 721, 826, 109/580, 522/575, 1106, 1119, 931, 935, 942, 949, 956, 973, 275, 528, 452, 1, 336, 1231, 303, 143, 148, 302/414, 304, 616, 1047, 100, 137, 1029, 978, 983, 986, 1201, 1228, 1249, 763, 765, 736, 353, 355, 356, 278, 363, 365, 366, 367, 256, 268, 269, 270, 272, 239, 1189, 1190, 1093, 1095, 1107, 1113, 584, 583, 838, 833, 2330, 2236, 2273, 2278, 2279, 2214, 1241, 1095, 1097, 758, 769, 771, 756, 393, 768, 728, 755, 757, 758, 730, 731, 734, 179/932 रकबा 0.949 हेक्टर कुल रकबा 2.383 हे० वनक्षेत्र में लगभग 179.142 कि.मी. लंबाई पर फायबर ऑप्टिकल केबल बिछाने हेतु वनभूमि को गैर वानिकी उपयोग

		हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तन हेतु मांग प्रेषित है।		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	सुकमा वनमण्डलन अंतर्गत परिक्षेत्र तोंगपाल, सुकमा, दोरनापाल, कोण्टा के संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 38P, 75P, 176P, 175P, 158P, 155P, 148P, 274P, 293, 289P, 292P, 667P, 676P, 699P, 694P, 709P, 711P, 168P एवं 171P रकबा 0.582 हे., आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 31, 115, 118, 162, 163, 275P, 276, 277, 283, 285 एवं 287 रकबा 0.853 हेक्टर एवं राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 566, 567, 569, 570, 576, 577, 578, 581, 83, 587, 40, 43, 129/1, 14, 54, 51, 55, 53, 59, 56, 255, 226, 227, 228, 229, 243, 253, 254, 71, 74, 84, 38, 547, 721, 826, 109/580, 522/575, 1106, 1119, 931, 935, 942, 949, 956, 973, 275, 528, 452, 1, 336, 1231, 303, 143, 148, 302/414, 304, 616, 1047, 100, 137, 1029, 978, 983, 986, 1201, 1228, 1249, 763, 765, 736, 353, 355, 356, 278, 363, 365, 366, 367, 256, 268, 269, 270, 272, 239, 1189, 1190, 1093, 1095, 1107, 1113, 584, 583, 838, 833, 2330, 2236, 2273, 2278, 2279, 2214, 1241, 1095, 1097, 758, 769, 771, 756, 393, 768, 728, 755, 757, 758, 730, 731, 734, 179/932 रकबा 0.949 हेक्टर कुल रकबा 2.383 हे० वनभूमि/राजस्व वनभूमि में आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित है।		
5.	वन भूमि का विस्तृत विवरण	वनखण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे.)
	(क) आरक्षित वन	तोंगपाल सुकमा दोरनापाल	31 115, 118, 162, 163 275P, 276, 277, 283, 285, 287	0.853
	(ख) संरक्षित वन	तोंगपाल सुकमा दोरनापाल कोन्टा	38P, 75P 176P, 175P, 158P, 155P, 148P, 274P, 168P, 171P 293, 289P, 292P 667P, 676P, 699P, 694P, 709P, 711P	0.582
	(ग) राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)	कटेकल्साएर तोंगपाल छिन्दगढ़ सुकमा	566, 567, 569, 570, 576, 40, 43, 129/1 14, 54, 51, 55, 53, 59, 56, 255, 226, 227, 228, 229, 243, 253, 254, 71, 74, 84, 38, 547, 721, 826, 109/580,	0.949

		कोन्टा	522/575, 1106, 1119, 931, 935, 942, 949, 956, 973, 275, 528, 452, 1, 336, 1029, 978, 983, 986, 1201, 1228, 1249, 763, 765, 736, 353, 355, 356, 278, 363, 365, 366, 367, 256, 268, 269, 270, 272, 239, 1189, 1190, 1093, 1095, 1107, 1113, 584, 583, 838, 833, 2330, 2236, 2273, 2278, 2279, 2214, 1241, 1095, 1097, 758, 769, 771, 756, 393, 768, 728, 755, 757, 758, 730, 731, 734, 179/932 1231, 303, 143, 148, 302/414, 304, 616, 1047, 100, 137	
		योग		2.383
6.	आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति एवं प्रकार	ईमारती एवं मिश्रित प्रजाति के वन है साईट क्वालिटी IV घनत्व 0.2 से 0.3 है।		
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	वृक्षों का विदोहन नहीं किया जायेगा।		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	सामान्य।		
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. /वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।	आवश्यकता नहीं हैं।		
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो प्रतिवेदन करें।	आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि०मी० के अन्तर्गत नहीं हैं।		

आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि. मी क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या)	आवश्यकता नहीं हैं।
12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं।

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

स्थान :- सुकमा

दिनांक :- 10.15.03.16



वनमण्डलाधिकारी
सुकमा वनमण्डल सुकमा